



डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / स0वि0 / 2024 / 4074

दिनांक: 20 सितम्बर, 2024

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
PATHFINDER RESEARCH AND TRAINING FOUNDATION, (1221)
GAUTAM BUDDHA NAGAR

विषय: शैक्षिक सत्र 2024-25 के सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश 749103/2024 /16-1099/138/2024 दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के माध्यम से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त Writ Petition (CIVIL) No. 507/2024 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेश के समादर में सम्बद्धता समिति की बैठक के कार्यावृत्त दिनांक 15.09.2024 के मद संख्या-7.01 में की गयी संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह कि संस्थान को प्रदत्त अनुमोदन को अन्य प्रकरणों में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

उपरोक्तानुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा आपके संस्थान को प्रदान किये गये अनुमोदन पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश 749103/2024/16-1099/138/2024 दिनांक 20 सितम्बर, 2024 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा **अस्थायी सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है, विवरण निम्नानुसार है।

Program	Course /Branch Name	Intake Applied	Approved Intake by AICTE	Intake Approved for Affiliation
Management	MBA(Agribusiness Management)	120	60	60

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- उच्च शैक्षिक प्रदर्शन तथा पारदर्शी प्रबन्धन पद्धति के मानदण्डों के सत्यापन हेतु संस्थान का यथावश्यक औचक निरीक्षण कराया जा सकता है तथा यदि संस्थान को मापदण्डों के अनुसार नहीं पाया जाता है तो विश्वविद्यालय/शासन द्वारा संस्थान की सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर/डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण (यथा लागू) में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी.टेक./एम.टेक./बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. इत्यादि पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/काउंसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं ए0आई0सी0टी0ई0/पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा



डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स0वि0/2025/7717

दिनांक: 26 जुलाई, 2025

सेवा में,
निदेशक / प्राचार्य,

PATHFINDER RESEARCH AND TRAINING FOUNDATION, Gautam Buddha Nagar
(1221)

विषय: शैक्षिक सत्र 2025-26 से 2027-2028 के सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा आपके संस्थान को प्रदान किये गये अनुमोदन पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति द्वारा दिनांक 04.07.2025 एवं 11.07.2025 को विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश 1023323/2025/16-1099/21/2025 दिनांक 12 जुलाई, 2025 एवं 1023324/2025/16-1099/ 21/2025 दिनांक 12 जुलाई, 2025 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदन दिनांक 15.07.2025 के क्रम में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 03 वर्ष शैक्षिक सत्र 2025-26 से 2027-28 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है, विवरण निम्नानुसार है।

Course	Branch Name	Intake Applied	Approved Intake By AICTE	Approved Intake By COA	Intake Approved For Affiliation
Masters of Business Administration	MBA (AGRIBUSINESS MANAGEMENT)	60	60		60

उपरोक्त सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान को विश्वविद्यालय पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष आवेदन के साथ सम्बद्धता शुल्क के साथ ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली से निर्गत एप्रूवल लेटर अपलोड करना होगा।
- विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों को राज्य सरकार की पूर्व सहमति के साथ यथास्थिति उच्च शैक्षिक प्रदर्शन तथा पारदर्शी प्रबन्धन प्रणालि के मानदण्डों के आधार पर 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए सम्बद्धता प्रदान कर सकता है। (विनियम: 6.07)
- नए विषय में सम्बद्धता हेतु किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक सम्बद्धता तथा पूर्ववर्ती सम्बद्धता की शर्तें पूरी तरह से पूर्ण की गयी है। (विनियम: 6.11)
- प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश एवं अनुशासन के लिए निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करेगा। (विनियम: 6.12)
- प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय अपने उपस्करों तथा उपकरणों के साथ अपने भवनों, प्रस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं और सेवाओं जैसे कि इसके अध्यापन कार्य करने वाले और दूसरे कर्मचारी जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, की सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा। (विनियम: 6.13)